मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संoसंo–04/मंoसoकाoकाo गठन–01/11(पार्ट–2)......753....../

प्रेषक,

निशीथ वर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...19.05....2025

विषय :– जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के मनोनीत उपाध्यक्षों एवं मनोनीत सदस्यों को देय सुविधा के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–383, दिनांक–18.11.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा मनोनीत किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के मनोनित दोनों उपाध्यक्षों निम्नलिखित सुविधाएं देय है:–

.1. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के दोनों उपाध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से एक कमरे का कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों उपाध्यक्षों की सहायता के लिए संयुक्त रूप में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक डाटा ऑपरेटर अथवा लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/– (दो सौ रूपये) तथा यात्रा–भत्ता ₹500/– (पाँच सौ रूपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा–भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के दोनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक–एक दिन परिवहन की सुविधा (भाड़े की गाड़ी) एक सप्ताह पूर्व प्राप्त उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

2. दोनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹1000/– (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुमानित सुविधाएं उनको उपलबध कराने की कृपा की जाए।

अनुo–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/05/25

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--4/ मंoसoकाoकाo गठन–01/11(पार्ट–2)......753...../ पटना–15, दिनांक–...19.05....2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/05/25

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।

D:\Sec-4\SANJEEV\Letter.docx Pg-2